

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्र. 405  
दिनांक 18.06.2018

## प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचास'

प्रश्न सं. [क. 405]

[25/6/2018]

| क्र. | शिकायतकर्ता का नाम एवं दिनांक  | शिकायत का विवरण   | शिकायत पर की गई कार्यवाही   | रिमांक |
|------|--|---|---|--------|
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5      |
| 1    | श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर, अध्यक्ष जिला पंचायत राजगढ़। शिकायत दिनांक 18.01.2017 | कर्तव्यों के विरुद्ध लापरवाही, अध्यापकों के स्थानांतरण करने एवं अनियमितताएँ किए जाने संबंध में शिकायत।  | अपर संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल को जॉच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया है।  |        |
| 2    | श्रीमती पुनिता गोयल, बोहरा गली ब्यावर, राजगढ़। शिकायत दिनांक 03.05.16              | नियम विरुद्ध स्थानांतरण एवं निलंबन अवधि का नियम विरुद्ध वेतन रोकने संबंधी।  | अपर संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल को जॉच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया है।  |        |
| 3    | श्री नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, उ.मा. वि. करनवास, राजगढ़। शिकायत दिनांक 23.01.2018 | डब्ल्यू.पी. 23154/2017 में पारित स्थगन आदेश का पालन नहीं करने व नियम विरुद्ध बार-बार जॉच कराने विषयक।   | संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को पत्र दिनांक 23.01.2018 द्वारा जॉच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया है।   |        |
| 4    | पात्रिका दैनिक समाचार पत्र। शिकायत दिनांक 09.10.2017                               | पात्रिका दैनिक समाचार पत्र दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित समाचार   | शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 17-32/2017/20-04 दिनांक 27.07.2017 द्वारा श्री एस.के.मिश्रा को निलंबित किया गया तथा पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा आरोप पत्र जारी। |        |
| 5    | विधानसभा प्र. क्र. 2930 (आश्वा. 1391) दिनांक 20.07.2017                            | अतारकित प्रश्न 2930 दि. 20.07.2017 में उद्भूत आश्वा. 1391 के अनुक्रम में दिनांक 01.03.2015 से प्रश्न दिनांक 20.07.2017 तक पदस्थ रहे जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही बाबत। | पत्र दिनांक 26.04.2018 द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल द्वारा शिकायतों की जॉच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई।   |        |
| 6    | श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। सी.एम.हेल्पलाईन शि.क. 751699 दिनांक 22.02.2015।           | श्रीमती बबिता मिश्रा एवं श्री मोहन नागर प्राचार्य का जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर को नहीं भेजने बाबत।  | पत्र दिनांक 20.05.2018 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को जॉच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया।   |        |

ज.सु.के.के. मिश्रा, अध्यक्ष, लोक शिक्षण विभाग, भोपाल - 4

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 7  | अन्ता.प्र.क्र. 80 दिनांक 18.07.2016 के अनुक्रम में।                                    | श्रीमती सुमन लता शुक्ला, प्रभारी प्राचार्य करणवास जिला राजगढ़ के विरुद्ध शिकायत की जाँच कराए जाने पर दोषसिद्ध होने के बावजूद चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करना।               | श्रीमती सुमन लता शुक्ला, प्रभारी प्राचार्य करणवास जिला राजगढ़ के विरुद्ध शिकायत की जाँच कराए जाने पर दोषसिद्ध होने के बावजूद चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करने के कारण संचालनालय के पत्र क्र./स्था.2/अ/सर्त/2016/747-748 दि. 24.08.2017 द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिवाद प्रस्तुत न करने के कारण आदेश क्र./स्था.2/अ/सर्त/2016/939 दि. 05.11.2017 द्वारा श्री एस.के.मिश्रा की असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकी गई। |
| 8  | तारा 80 दिनांक 18.07.2016 के अनुक्रम में।  | श्रीमती सुमन लता शुक्ला, प्रभारी प्राचार्य करणवास जिला राजगढ़ के विरुद्ध शिकायत की जाँच कराए जाने पर दोषसिद्ध होने के बावजूद चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करना।               | तारांकित प्रश्न क्र. 80 दिनांक 18.07.2016 का अपूर्ण उत्तर भेजने, प्रश्न का सही ढंग से वाचन नहीं करने तथा समय-सीमा में उत्तर नहीं देने के कारण।  |
| 9  | श्री नीलकरण राज ठाकुर, अध्यक्ष अखिल राजगोंड महासभा, मण्डीदीप रायसेन। दिनांक 04.01.2017 | श्रीमती बबीता मिश्रा, मोहनलाल नागर एवं संध्या नागर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने तथा भ्रष्टाचार करते हुए दोषियों को सरक्षण प्रदान कर नियम विरुद्ध कार्य करना। | प्रकरण में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल को जाँच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जाँच उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।   |
| 10 | श्री नीलकरण राज ठाकुर, अध्यक्ष अखिल राजगोंड महासभा, मण्डीदीप रायसेन।                   | जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्री एस.के.मिश्रा को निलंबित या स्थानान्तरण कर विभागीय जाँच के आदेश प्रदान करने बावत्।   | प्रकरण में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल को जाँच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जाँच उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।   |

  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

अबुभाब अधिकारी,  
 कक्षा प्रदेश शाळा,  
 लखन शिक्षा विभाग  
 (कक्षा - 4)